समाचार

मंगलवार को खोली दुकानें, निगम अमले ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही

(लगाया 18 हजार रूपये अर्थदण्ड, दुकानों को कराया बंद, लाकडाउन का पालन करने दी कड़ी हिदायत)

कोरबा 03 अगस्त 2021 –मंगलवार को लाकडाउन होने के बावजूद दर्जनों दुकान संचालकों द्वारा दुकानें खोल ली गई थी, जिस पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने इन दुकानों पर अर्थदण्ड लगाया, दुकानों को बंद कराया तथा लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने व मंगलवार को दुकान, प्रतिष्ठान न खोलने की कड़ी हिदायत दी।

यहां उल्लेखनीय है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में कोरबा में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को लाकडाउन रखने एवं इस दिन अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानों, प्रतिष्ठानों को न खोलने के निर्देश **कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू** द्वारा जारी किए गए हैं, किन्तु इसके बावजूद अनेक दुकान संचालकों द्वारा मंगलवार को दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए **आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा** ने निगम अमले को इस पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर एवं उनकी टीम ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए खुली हुई दुकानों पर 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, दुकानों को बंद कराया तथा पूर्ण लाकडाउन के दौरान दुकान, प्रतिष्ठान न खोलने व लाकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की कड़ी हिदायत दी। निगम अमले ने कार्यवाही के दौरान मधु स्वीट्स निहारिका पर 02 हजार रूपये, जय मॉ दुर्गा मिष्ठान भण्डार कोसाबाड़ी पर 02 हजार रूपये, वैभव स्वीट्स एण्ड बेकरी कोसाबाड़ी पर 02 हजार रूपये, रवि स्वीट्स निहारिका पर 02 हजार रूपये, सत्यम बेकर्स टी.पी.नगर पर 02 हजार रूपये, जय मॉ शारदा होटल बुधवारी पर 02 हजार रूपये, ऐश्वर्या स्वीट्स टी.पी.नगर पर 01 हजार रूपये सहित निहारिका, कोसाबाड़ी, टी.पी.नगर, कोरबा एवं अन्य क्षेत्रों में खुली पाई गई अन्य दुकानों व प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की, इन दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद कराया तथा पूर्ण लाकडाउन के दौरान दुकानें न खोलने की कड़ी हिदायत दी।

सभी जोन में सतर्क रहा निगम अमला– मंगलवार को दुकान, प्रतिष्ठान न खोलने तथा खुली दुकानों को बंद कराने हेतु सभी जोन में निगम का मैदानी अमला सतर्क रहा। कोरबा,टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, पं .रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला सभी 08 जोन में स्थित बाजारों व्यवसायिक क्षेत्रों में भ्रमण कर निगम अमले ने खुली दुकानों को बंद कराया, अर्थदण्ड आरोपित किया तथा दुकानों को न खोलने व लाकडाउन का पालन करने की कड़ी हिदायत दी।

पूर्ण लाकडाउन का पालन करें– आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने निगम क्षेत्र के सभी दुकान, प्रतिष्ठान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानों को मंगलवार को बंद रखें जाने के निर्देश दिए गए हैं, अतः निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए मंगलवार को दुकान, प्रतिष्ठान न खोलें, लाकडाउन का पालन करें तथा लाकडाउन का उल्लंघन पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।